

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the
152 Udaipur Rural (S.T.) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Phool Singh Meena

Rekha General Store, Road No. 3, Purohito Ki Madri, Udaipur (Address)

sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Udaipur

Dated- 03-12-2023



(Pratibha Verma)
Returning Officer

152-Udaipur Rural (S.T.)

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Girwa

रिटर्निंग अधिकारी
152-उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.प.)
संयुक्त अधिकांश एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट, गिरवा

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

152- उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री फूल सिंह मीणा (नाम)

रेखा जनरल स्टोर, रोड नं. 3, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान - उदयपुर

दिनांक 03-12-2023



(प्रतिभा वर्मा)

रिटर्निंग ऑफिसर

152 उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.) विधान सभा
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिरवा
रिटर्निंग अधिकारी
152-उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिरवा